# दिल्ली दुविधा: केंद्र बनाम राज्य

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

18 फरवरी, 2019

**सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों में निहित जटिलताओं को दूर करने की आवश्यकताओं पर बल देता है।**

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCTD) की सरकार के पास सेवाओं पर कार्यकारी नियंत्रण है या नहीं, इस सवाल पर एक खंडित निर्णय दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली में कई निर्वाचित शासनों द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने के नुकसान को महसूस किया जाता रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के बीच विवाद बाकियों सेगं भीर रहे हैं।

यह लड़ाई राजनीतिक और न्यायिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई है जहाँ विवाद इस बात पर है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के पास कौन-कौन से विषय पर नियंत्रण है। पिछले साल संविधान पीठ ने इस तरह के मुद्दों को हल करने के लिए एक ढांचा प्रदान किया था। जहाँ यह कहा गया था कि उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा या राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा दिए गए संदर्भ पर निर्णय का पालन करना होगा। देखा जाये तो राष्ट्रपति को 'कोई भी मामला' संदर्भित करने की शक्ति का मतलब यह नहीं हुआ कि 'हर मामले' को इस तरह से उनके पास भेजा जाये। इन विशिष्ट मुद्दों को न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और अशोक भूषण की पीठ के पास भेज दिया गया था, जिसमें से अधिकांश मुद्दों को हल किया जा चुका है।

देखा जाये, तो इन्होंने अभियोजकों को नियुक्त करने, संपत्ति लेन-देन पर स्टांप शुल्क को संशोधित करने और दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने की दिल्ली सरकार की शक्ति को बरकरार रखा है।

जस्टिस भूषण ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास इस संबंध में कोई कार्यकारी शक्तियाँ नहीं हैं, जबकि जस्टिस सीकरी ने कहा कि जॉइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर की रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहेगा तथा उससे नीचे की रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर का अधिकार GNCTD (राष्ट्रीय राजधानी सरकार दिल्ली क्षेत्र) के पास रहेगा। इसके बाद बेंच ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाओं पर नियंत्रण पर अपना खंडित फैसला तीन सदस्यों वाली बेंच के पास भेज दिया।

दोनों न्यायाधीश सहमत हैं कि दिल्ली सरकार में कोई 'सेवा' नहीं है, क्योंकि इसके सभी कर्मचारी 'केंद्रीय सेवाओं' के तहत आते हैं। इसके सिविल सेवक दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (दानिक्स, DANICS) कैडर से तैयार होते हैं, जो विभिन्न केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य सेवा है। न्यायमूर्ति सीकरी का मानना है कि पिछले साल संविधान पीठ के फैसले से एनसीटीडी (NCTD) को वास्तव में अपने विभागों के भीतर अधिकारियों को तैनात करने की शक्ति होगी।

हालांकि, दिल्ली में एक सार्वजनिक सेवा की अनुपस्थिति का मतलब राज्य सूची में राज्यीय पब्लिक सर्विसेज की एंट्री 41 है, इसका मतलब यह होगा कि यह 'केंद्र शासित प्रदेशों' के लिए अनुपयुक्त है और इसलिए, दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह पर एलजी को कार्य करने की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, वह एक समाधान का पक्षधर है जिसके तहत संयुक्त सचिव और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग सीधे एलजी को सौंपी जा सकती है और अन्य को मंत्रिपरिषद द्वारा संसाधित किया जाये और एलजी को भेजा दिया जाये। किसी भी विवाद के मामले में एलजी का दृष्टिकोण प्रबल होगा।

दूसरी ओर, न्यायमूर्ति भूषण ने फैसला सुनाया है कि एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि एनसीटीडी के तहत कोई 'सेवा' नहीं है, तो इस संबंध में किसी भी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए इसकी सरकार के पास कोई गुंजाइश नहीं है। सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित प्रश्न पर अब एक बड़ी बेंच फैसला करेगी।

अधिक महत्वपूर्ण चुनौती संघवाद और सत्ता-साझाकरण व्यवस्था के कई रूपों द्वारा उत्पन्न की गई जटिलताओं और समस्याओं से बाहर निकलने का एक रास्ता खोजना है, जिसके माध्यम से केंद्र और इसकी घटक इकाईयों के बीच संबंधों को विनियमित किया जा सके।

## दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर चल रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की अलग-अलग राय सामने आई है।
- जस्टिस सीकरी ने कहा है कि आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार उपराज्यपाल को दिया जाए, जबकि दानिक्स (दिल्ली अंडमान एंड निकोबार, आईलैंड सिविल सर्विस) के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहें। अगर कोई मतभेद होता है तो राष्ट्रपति के पास मामला भेजा जाए।
- वहीं, दूसरे जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि पूरे सर्विस के मामलों में केंद्र सरकार को अधिकार है।
- सुप्रीम कोर्ट ने छह मुद्दों पर फैसला सुनाया है। इसमें से चार केंद्र के पक्ष में गए हैं।
- एंटी करप्शन ब्रांच (ACB), ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अधिकारियों के पोस्टिंग और ट्रांसफर, कमीशन ऑफ इंक्वायरी केंद्र के अधीन होंगे।

### विवाद?

- केंद्र सरकार ने 23 जुलाई, 2014 को भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियों को सीमित कर दिया गया था और दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच का अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों तक सीमित किया गया था।
- इसके जाँच दायरे से केंद्र सरकार के अधिकारियों को बाहर कर दिया गया था। इस नोटिफिकेशन को दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
- इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से मामले को उठाते हुए कहा गया कि सर्विसेज तथा एंटी करप्शन ब्रांच जैसे मामलों में गतिरोध कायम है और इन मुद्दों पर सुनवाई की जरूरत है।

### केंद्र सरकार का पक्ष

- केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि उपराज्यपाल को केंद्र से अधिकार मिले हुए हैं।
- सिविल सर्विसेज का मामला उपराज्यपाल के हाथ में है क्योंकि यह अधिकार राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को दिया है। इसलिये मुख्य सचिव की नियुक्ति आदि का मामला उपराज्यपाल ही तय करेंगे।
- दिल्ली के उपराज्यपाल की पावर अन्य राज्यों के राज्यपाल के अधिकार से अलग है।
- संविधान के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को विशेषाधिकार मिला हुआ है।
- विधानसभा होने का यह अर्थ नहीं है कि दिल्ली एक राज्य है और उसे अन्य राज्यों की तरह अधिकार प्राप्त हैं।
- दिल्ली पूर्णतया केंद्र द्वारा शासित प्रदेश है और अंतिम अधिकार केंद्र के जरिये राष्ट्रपति के पास है।

### दिल्ली सरकार का पक्ष

- चुनी हुई सरकार के पास अधिकार होना जरूरी है।
- उपराज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर काम करना चाहिये।
- संविधान के अनुच्छेद-239AA के तहत चुनी हुई सरकार होती है, जो जनता के प्रति जवाबदेह होती है।
- जमीन, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस के अलावा राज्य और समवर्ती सूची में शामिल मामलों में दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है।
- जैसे ही जॉइंट कैडर के अधिकारी की पोस्टिंग दिल्ली में होती है, वह दिल्ली प्रशासन के तहत आ जाता है।
- एंटी करप्शन ब्रांच को भी दिल्ली सरकार के दायरे में होना चाहिए क्योंकि आपराधिक दंड संहिता में ऐसा प्रावधान है।

### अनुच्छेद-239AA

- संविधान के अनुच्छेद-239AA और एबी में दिल्ली के उपराज्यपाल को दूसरे राज्यों के राज्यपालों से ज्यादा संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं।
- दिल्ली में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद् की सलाह से काम करेंगे, यदि कोई अपवाद है तो वह मामले को राष्ट्रपति को रेफर कर सकते हैं और जो फैसला राष्ट्रपति लेंगे, उस पर अमल करेंगे।
- अगर उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद् में मतभेद हों, तो मामला राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए।
- जब तक ये मामला राष्ट्रपति के पास लंबित होता है, तब तक उपराज्यपाल के पास अधिकार होता है कि वो अपने विवेक से किसी भी तात्कालिक मामले में तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं।

### 1991 का संविधान संशोधन

- दिल्ली एक आंशिक राज्य है, यह पूर्ण राज्य नहीं है। 1991 में संविधान में संशोधन से दिल्ली को विशिष्ट संवैधानिक दर्जा और विधानसभा मिली थी।
- संविधान के हिसाब से दिल्ली के प्रमुख उपराज्यपाल हैं। 1993 से दिल्ली में जो भी सरकार बनी, उसमें से किसी ने भी उपराज्यपाल की शक्तियों को चुनौती नहीं दी।
- दिल्ली की चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल के साथ अपनी शक्तियों को शेयर करना ही पड़ता है।
- दिल्ली जैसे आंशिक राज्य के मुकाबले दूसरे पूर्ण राज्यों में राज्यपाल होते हैं जो राज्य की मंत्रिपरिषद् और मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। लेकिन दिल्ली की स्थिति अलग है।

## संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. 1991 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को विशिष्ट संवैधानिक दर्जा और विधानसभा मिली थी।
   2. संविधान के अनुच्छेद- 239 एए और एबी में दिल्ली के उपराज्यपाल को दूसरे राज्यों के राज्यपालों से अधिक संवैधानिक शक्तियाँ दी गयी है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Consider the following statements-**

   1. Delhi was given special constitutional status and Legislative Assembly through the 69th Constitutional Amendment Act, 1991.
   2. Under the Article 239 (AA) and (AB) the Lieutenant Governor of Delhi has been provided with more power than the Governors of other states.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

## संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

**प्रश्न: केन्द्र और केन्द्रशासित प्रदेशों ( विशेषकर दिल्ली ) के मध्य 'सेवाओं पर कार्यकारी नियंत्रण' को लेकर उत्पन्न विवाद से निपटने के लिए किन बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है? चर्चा कीजिए।**

**Q. Which points needs to be focused for the resolution of the debates originated regarding the services and executive control between the center and the Union Territories (specially Delhi) Discuss.**

**(250 Words)**

GS World Committed to Excellence

**नोट :** 16 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।